नया-नया दिखेगा जज साहब का ड्राइंग रूम

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

अब नये अंदाज में दिखेगा जजों का ड्राइंग रूम। इसकी साज-सज्जा के लिए राज्य सरकार बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को एकमुश्त राशि देगी। शेट्टी कमीशन की सिफारिशों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने यह निर्णय लिया है। हरेक जज को उनके सेवाकाल में एक बार ड्राइंग रूम की सजावट के लिए 40132 रुपये दिये जायेंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बाबत संकल्प जारी कर दिया है। इससे सिविल जज (कनीय), सिविल जज (वरीय), अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला एवं सत्र न्यायाधीश को फायदा होगा। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा संघ बनाम भारत संघ और अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2008 में ही न्यायिक पदाधिकारियों को विभिन्न प्रकार के भत्तों के भुगतान का आदेश दिया था। ड्राइंग रूम भत्ता के भुगतान का मामला उसी समय से अटका हुआ था। फिलहाल राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को पद्मनाभन समिति और शेट्टी कमीशन की सिफारिशों के अनुसार आतिथ्य भत्ता, जल-विद्युत भत्ता, समाचार पत्र-पत्रिका भत्ता, पोशाक भत्ता, टेलीफोन भत्ता, परिवहन सुविधा और ईंधन भत्ते का भुगतान किया जा रहा है।